स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 5035, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 32 दिनांक : 21.08.2024

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की बैठक आज दिनांक 21.08.2024 को दोपहर 1.30 बजे समिति कक्ष संख्या 2 सचिवालय जयपुर में आयोजित हुयी।

बैठक में परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार –विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. विधि सेवा स्मारिका एवं निर्देशिका–2024 के विमोचन के सम्बन्ध में माननीय विधि मंत्री महोदय/प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग से समय लिया जाकर 29/30 अगस्त 2024 को विमोचन कराने का निर्णय लिया गया।

2. राजस्थान विधि सेवा परिषद के सदस्य जिन्होनें अन्य विधि सेवा संगठन की दोहरी सदस्यता ले रखी है, उनके प्रकरण में उचित निर्णय लेने हेतु पूर्व में दिनांक 11.03.2022 को गठित परिषद की "सदस्यता विवाद निवारण समिति" के समान 7 सदस्य वाली नवीन "सदस्यता विवाद निवारण समिति" का गठन करने का निर्णय लिया गया। ताकि उसके समक्ष उक्त प्रकृति के प्रकरणों को निस्तारण हेतु प्रेषित किया जावेगा।

3. स्मारिका एवं निर्देशिका 2024 की 1000 कलर प्रिण्ट छपवाने तथा इन प्रतियों के प्रकाशन हेतु परिषद के द्वारा किये जाने वाले खर्चों के लिये परिषद के बैंक खाते से चैक जारी कर राशि आहरित किये जाने का निर्णय लिया। इस स्मारिका की प्रति राजस्थान विधि सेवा परिषद के वर्ष 2024 के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान करनी तथा अन्य को सदस्यता शुल्क के समान राशि रुपये 500/– के भुगतान उपरान्त दिये जाने का निर्णय लिया गया।

4. पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कराये जाने के लिये अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग से आज ही व्यक्तिशः मिलने का निर्णय लिया गया।

5. नवनियुक्त कनिष्ठ विधि अधिकारीगण एवं अन्य समस्त विधि सेवा के अधिकारीगण के पदनाम से एवं संयुक्त सचिव विधि विभाग के डिजिटल हस्ताक्षर वाले परिचय पत्र वनवाने का निर्णय लिया गया।

6. स्मारिका एवं निर्देशिका 2024 के प्रकाशन में इस वर्ष होने वाली डीपीसी में दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के दृष्टिगत पदोन्नति पद का पदनाम लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

7. उपरोक्तानुसार निर्णय लिये जाने के पश्चात कार्यकारिणी बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

(सुरेश चन्द शर्मा)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद